न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तः–

पवन अग्रवाल पुत्र मोहनलाल, उम्र 45 जाति अग्रवाल,
निवासी– नृसिंह जी का चौक, डीडवाना जिला नागौर।
(विक्रेता एवं मालिक)

फर्मः– मैसर्स मुरारी स्टोर्स, नागौरी गेट के अन्दर, धानमण्डी डीडवाना जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः– 35 / 2021

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं दण्डनीय धारा 58 "

उपस्थितिः–

1. श्री पवन अग्रवाल पुत्र मोहनलाल, जाति अग्रवाल।
2. श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 16 अगस्त, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 06.01.2021 को समय 03:30 पी.एम. पर फर्म–मैसर्स मुरारी स्टोर्स, नागौरी गेट के अन्दर, धानमण्डी डीडवाना जिला नागौर पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति श्री पवन अग्रवाल पुत्र मोहनलाल, उम्र 45 जाति अग्रवाल, निवासी– नृसिंह जी का चौक, डीडवाना जिला नागौर मालिक एवं खांद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को मसाले विक्रय हेतु रखे पाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। जिसकी छायाप्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर एक खुले प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 15 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते खुली अवस्था में रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूॅ। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लाल मिर्च पाउडर (लूज) को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर एक साफ सुखे एवं खाली स्टील की भगोनी में 2 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) को नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 400/–(अक्षरे चार सौ रू.मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक Q–1490, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–.1490 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता पवन अग्रवाल एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना जार सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है तथा शेष नमूना को फार्म नं. 6 प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्दकर सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकः चिकि / FSSA / जांच रिपोर्ट / 2020 / 164–65 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या LS/29/Act/2021/18 दिनांक 13.01.2021 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना **Contravention of Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition** होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांकः–चिकि / FSSA / जांच रिपोर्ट / 2020 / 164–65 दिनांक 08.02.21 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता पवन अग्रवाल ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय करके अधिनयम के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 14.07.2021 को अभियुक्त पवन अग्रवाल ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट / जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 06.01.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार अमानक पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(5) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 04.08.2021 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(6) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.01.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय 03:30 पी.एम. पर फर्मः– मैसर्स मुरारी स्टोर्स, नागौरी गेट के अन्दर धानमण्डी डीडवाना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति पवन अग्रवाल पुत्र मोहनलाल जाति अग्रवाल, निवासी– नृसिंह जी का चौक, डीडवाना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते मसाले आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर एक प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 15 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जांगिड़, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लाल मिर्च पाउडर (लूज) को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर उस में से 2 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) को नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 400/–नगद (अक्षरे चार सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जांगिड़, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–1490 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता पवन अग्रवाल एवं गवाहान को पढ़, सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

(8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म–मैसर्स मुरारी स्टोर्स, नागौरी गेट के अन्दर, धानमण्डी डीडवाना, विक्रेता मालिक पवन अग्रवाल से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। फार्म नं. 6 की एक प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 07.01.2021 को देकर रसीद प्राप्त की शेष नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 07.01.2021 को आवेदक ने स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता पवन अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना Q–1490 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या LS/29/Act/2021/18 दिनांक 13.01.2021 के अनुसार उक्त लाल मिर्च पाउडर (लूज) नमूना नं.– 1490 **Contravenes**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

Regulation No.2.3.14.(15) of Food safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it sold in losse condition होना पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ अमानक है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नही करवाएगा।

धारा 58ः–

जो कोइ इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/164–65 दिनांक 08.02. 2021 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–1490 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य है। इस प्रकार, अमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्मः–मैसर्स मुरारी स्टोर्स, नागौरी गेट के अन्दर, धानमण्डी डीडवाना जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत प्रतिवादी पवन अग्रवाल पुत्र मोहनलाल, जाति अग्रवाल, निवासी– नृसिंह जी का चौक, डीडवाना जिला नागौर फर्मः–मैसर्स मुरारी स्टोर्स, नागौरी गेट के अन्दर, धानमण्डी डीडवाना जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(9) आदेश दिनांक 16.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना